न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; **(UP-6234)**

UPHP010009952022

Sessions Case/677/2022

सत्र परीक्षण संख्या 677 / 2022

मु0अ0सं0 32 / 2022

सरकार बनाम कलवा आदि

अ0धारा 323 / 34,325 / 34,504,506 भा0दं0सं0

व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना : गढमुक्तेश्वर

जिला : हापुड़

26.04.2023 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण कलवा,मनोज, बोबी व जतिन जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 / 34,325 / 34,504,506 भा0दं0सं0,व 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 16.05.2023 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)

दि0 26.04.2023 अपर सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,

हापुड।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
UPHP010009952022

Sessions Case/677/2022
सत्र परीक्षण संख्या 677/2022
मु0अ0सं0 32/2022
सरकार बनाम कलवा आदि
अ0धारा 323/34,325/34,504,506 भा0दं0सं0
व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : गढमुक्तेश्वर
जिला : हापुड़

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट,हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण कलवा,मनोज, बोबी व जतिन पर यह आरोप लगाता हूँ कि :

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 04.11.2021 को समय रात्रि करीब 9.30 बजे ग्राम सरूरपुर बहद थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड स्थित वादी के घर के बाहर बम फोडने से मना करने पर आप सभी ने एक राय होकर सामान्य आशय से वादी व उसकी पत्नी के साथ लाठी, डन्डे व लोहे की रॉड से मारपीट कर उपहति कारित की । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय से वादी व उसकी पत्नी के साथ लाठी, डन्डे व लोहे की रॉड से मारपीट कर घोर उपहति कारित की, जिससे वादी के हाथ की हडडी टूट गयी। इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 325/34 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयतः::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी पत्नी को बुरी – बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को

प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी पत्नी जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को मारपीट कर सामान्य व गंभीर उपहति कारित की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौच कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 26.04.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 26.04.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।